राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 487/2025

रेखा कुमारी बुनकर

–अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमान आयुक्त कृषि एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान , जयपुर।
2. श्रीमान सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राज. जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 31.01.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति कृषि पर्यवेक्षक के पद पर दिनांक 05.03.2016 को हुयी थी तदुपरान्त अपीलार्थी लगातार नियमित रूप से अपनी सेवायें विभाग को देता आ रही है तथा अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण कर कृषि पर्यवेक्षक पद का दायित्व निर्वहन किया है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत अथवा विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है। अपीलार्थी जयपुर जिले की आमेर तहसील की निवासी है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा मुख्यालय जगतपुरा, सहायक निदेशक कृषि विभाग, सांगानेर से मुख्यालय रलावता, सहायक निदेशक, कृषि विभाग, दौसा में किया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान पर उर्मिला मीणा को पदस्थापित किया है एवं मेरा पदस्थापन उर्मिला मीणा के स्थान पर किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर जिस व्यक्ति को पदस्थापित किया गया है, उसे

समायोजित करने के लिये ही उक्त आदेश पारित गया है। अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का टी.ए एवं डी.ए. देना दर्शित नहीं किया है, जबकि अपीलार्थी के द्वारा स्वेच्छा से अन्यत्र कहीं भी अपना स्थानान्तरण नहीं मांगा गया था, अपीलार्थी को हैरान परेशान करने की गरज से टी.ए./डी.ए. का आदेश उक्त आलौच्य आदेश में दर्शित नहीं किया है। अपीलार्थी के छोटे छोटे बच्चे है, जो वर्तमान में अध्यन्नरत है, तथा बीच सत्र किसी भी विद्यार्थी को अन्य विद्यालय में प्रवेश करवाया जाना सम्भव नहीं है। यदि अपीलार्थी का तबादला निरस्त नहीं किया गया तो अपीलार्थिया के छोटे छोटे बच्चों का एक बहुमूल्य वर्ष बर्बाद हो जावेगा।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1)) में क्रमांक 587 पर अपीलार्थी के निस्तारण को अपास्त फरमाया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य